न्यायालय उपखण्ड अधिकारी अनूपगढ़ जिला श्रीगंगानगर (राज.)

पीठासीन अधिकारी :–सुरेश राव (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या:–23 / 2025

जीसीएमएस नं.–2025 / 157

हरि प्रकाश पुत्र सुभाष जाति बावरी निवासी चक 4 ए तहसील अनूपगढ़ जिला श्रीगंगानगर (राज.)

–प्रार्थी

बनाम

स्टेट आफ राजस्थान जरिये तहसीलदार (राजस्व) अनूपगढ़ जिला श्रीगंगानगर (राज.)

–अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (ए) आरटीएक्ट

–:: निर्णय ::– दिनांक:–20/4/26

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी के नाम से कृषि भूमि वाके चक 5 एल एम तहसील अनूपगढ़ का मुरब्बा नं.–25 पत्थर सं.–270 / 484 का किला नं. –21 / 2, 22 / 4, 23 / 6, 24 / 20 मे कुल 0.5670 हैक्टर अनकमाण्ड कृषि भूमि राजस्व रिकार्ड में बतौर खातेदारी दर्ज है। प्रमाणित प्रति जमाबंदी सलग्न प्रार्थना पत्र है। प्रार्थी यहां यह स्पष्ट करना उचित समझता है कि मुरब्बा नं.–25 पत्थर सं. –270 / 484 का किला नं.–5 / 1 का 0.228 हैक्टर, 5 / 2 का 0.025 हैक्टर, 6 ता 14 प्रत्येक का 0.253 हैक्टर, 16 का 0.253 हैक्टर, 25 का 0.253 हैक्टर कुल 3.036 हैक्टर कमाण्ड / अनकमाण्ड रकबा मय खाला रामलाल पुत्र लागूराम के नाम से, किला नं.–17 ता 20 प्रत्येक का 0.253 हैक्टर कुल 1.012 हैक्टर अनकमाण्ड रकबा भगवानाराम पुत्र गिरधारीराम के नाम से व किला नं.–21 ता 24 प्रत्येक का 0.253 हैक्टर कुल 0.012 हैक्टर अनकमाण्ड रकबा प्रार्थी के नाम से राजस्व रिकार्ड में अलग–2 खातो में दर्ज है। प्रमाणित प्रतिलिपींया जमाबंदीया सलग्न है। प्रार्थी को अपनी कृषि भूमि में आने जाने के लिए कोई रास्ता नही होने के कारण रामलाल, भगवानाराम व प्रार्थी ने अपनी–2 कृषि भूमि मे से किला नं–5 / 1 का 0.050 हैक्टर, 6 का 0.100 हैक्टर, 7 का 0.005 हैक्टर, 14 का 0.050 हैक्टर, 17 का 0.050 हैक्टर व 24 का 0.050 हैक्टर रकबा अपनी स्वेच्छया से रास्ते के लिए सर्पण कर दिया था तथा प्रार्थी उक्त जगह का रास्ते के रूप मे उपयोग उपभोग करता आ रहा है। उक्त रकबा रास्ते ही सर्म्पण करने के लिए सहमति बाबत तीनो के शपथ पत्र सलग्न है। उक्त रकबा रास्ते के लिए सर्म्पण करने के बाद प्रार्थी, भगवानाराम व रामलाल ने रास्ते के लिए सर्पण की गई जगह का राजस्व रिकार्ड में रास्ते का अमलदरामद करवाने बाबत एक प्रार्थना पत्र दिनांक 08–07–2025 को अप्रार्थी के समक्ष पेश किया गया। जिस पर अप्रार्थी द्वारा संबंधि[illegible] तलब की गई। पटवारी हल्का द्वारा दिनांक 8–7–2025 को रिपोर्ट [illegible] अप्रार्थी के समक्ष प्रस्तुत की गई। रिपोर्ट प्रस्तुत होने पर अप्रार्थी द्वारा [illegible] 15–7–2025 को नियमानुसार सर्पण करवाया जाकर [illegible] दिए गए। चित्र प्रति प्रार्थना पत्र मय पटवारी रि[illegible] आदेश पर जगह का सर्पण करवाया जाकर राजस्व रिकार्ड मे रास्ते हेतु सर्म्पण की गई जगह का रास्ता का अकंन किया जाना था लेकिन लिपिकीय भुलवश सहवन से नामातंरण दर्ज करते समय रास्ते की जगह के स्थान पर रकबा राज दर्ज हो गया है। चित्र प्रति नामातंरण

Signature Not Verified
Digitally signed by Suresh Kumar Rao
Date: 2026.04.27 11:00:31 IST
Reason: SelfAttested

कार्यालय उप जिला कलेक्टर
जिला श्रीगंगानगर

सुरेश राव
उपखण्ड अधिकारी
अनूपगढ़

सलग्न है। सर्पण की गई जगह रास्ते के रूप मे राजस्व रिकार्ड मे दर्ज नही होने के कारण प्रार्थी को अनेको परेशानियो का सामना करना पड़ रहा है तथा भविष्य मे कोई रास्ता बंद करता है तो खुलवाने में कानूनी अड़चन होगी। इसलिए प्रार्थी के लिए आवश्यक हो गया है कि प्रार्थी कृषि भूमि वाके चक 5 एलएम का मुख्या नं.–25 पत्थर सं.–270/484 के किला नं–5/1 का 0.050 हैक्टर, 6 का 0.100 हैक्टर, 7 का 0.005 हैक्टर, 14 का 0.050 हेक्टर, 17 का 0.050 हैक्टर व 24 का 0.050 हैक्टर रकबा को रास्ता स्वीकृत करवा कर राजस्व रिकार्ड में दुरूस्ती करवाते हुऐ रकबा राज के स्थान पर रास्ता दर्ज करवा लेवे ताकि प्रार्थी को भविष्य में किसी प्रकार की परेशानी ना हो। इस संबंध में प्रार्थी ने दिनांक 4–8–2025 को अप्रार्थी के समक्ष उपस्थित होकर निवेदन किया तो अप्रार्थी ने रास्ता स्वीकृत करने व रिकार्ड में दुरूस्ती करने बाबत सक्षम न्यायालय मे चाराजोही करने का कहा गया। जिस पर प्रार्थी बिना किसी देरी के श्रीमान् जी के समक्ष यह प्रार्थना पत्र पेश कर रहा है।

अतः प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर कृषि भूमि वाके चक 5 एल एम का मुरब्बा नं.–25 पत्थर सं.–270/484 के किला नं–5/1 का 0.050 हैक्टर, 6 का 0.100 हैक्टर, 7 का 0.005 हैक्टर, 14 का 0.050 हैक्टर, 17 का 0.050 हैक्टर व 24 का 0.050 हैक्टर रकबा को रास्ता स्वीकृत कर राजस्व रिकार्ड मे रकबा राज के स्थान पर रास्ता दर्ज कर दुरूस्ती करने के आदेश अप्रार्थी को दिए जाने की कृपा करे।

प्रकरण दर्ज किया गया। अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी तहसीलदार अनूपगढ़ द्वारा रास्ता स्वीकृति हेतु जांच प्रतिवेदन मय नजरी नक्शा चक 5 एल एम का पत्थर नं.–270/484 का मुरब्बा नं.–25 का किला नं.–5/1, 6, 7, 14, 17, 24 में कुल 0.325 हैक्टर नामातरण सं.–415 दिनांक 16.07.2025 (सर्म्पण) द्वारा रकबा राज (सिवायचक) दर्ज हैं उक्त रकबा हरिप्रकाश पुत्र सुभाष जाति बावरी साकिन 4 ए खातेदार द्वारा उक्त मुरब्बा के किला नं.–21 का 0.104, 22 का 0.104, 23 का 0.104, 24 का 0.083 आवासीय ईकाइ प्रयोजनार्थ रूपान्तरित रकबा के पहुच मार्ग हेतु रामलाल पुत्र लालूराम जाति नायक द्वारा 5/3 का 0.050, 6/3 का 0.100, 7/5 का 0.005, 14/7 का भगवाना राम पुत्र गिरधारीराम द्वारा 17/9 का 0.50 का हरिप्रकाश पुत्र सुभाष द्वारा 24/11 का 0.050 रकबा स्वच्छा से राज. सरकार को समर्पण किया गया है। उक्त समर्पित किए गए रकबा को हरिप्रकाश पुत्र सुभाष द्वारा उक्त मुरब्बा के किला नं.–21 ता 24 मे रूपान्तरित (आवासीय प्रयोजनार्थ) रकबा में जाने हेतु उपयोग में लिया जा रहा है। वर्तमान राजस्व रिकार्ड अनुसार उक्त रकबे पर किसी प्रकार का कोई वाद विवाद/स्थगन नही है। तथा प्रार्थी रामलाल पुत्र लागुराम जाति नायक निवासी चक 6 एल एम तहसील अनूपगढ़ ने शपथ पत्र पेश किया कि हरिप्रकाश पुत्र सुभाष को अपनी कृषि भूमि में आने जाने के लिए कोई रास्ता नहीं होने के कारण मिकर भगवानाराम व हरिप्रकाश पुत्र सुभाष ने अपनी अपनी कृषि भूमि में से किला नं. 5/1/0.050, 6/0.100, 7/0.005, 14/0.050, 17/0.050 व 24/0.050 [illegible] 3 फिट चौड़ा रास्ता अपनी स्वेच्छा से रास्ते के लिये समर्पण कर दिया [illegible] तथा [illegible]रिप्रकाश पुत्र सुभाष उक्त जगह का उपयोग उपभोग रास्ते के रूप मे करता [illegible] रहा है। समर्पण की जगह का नामान्तकरण रकबाराज के रूप में दर्ज है [illegible] रूप में स्वीकृत करते हुये दर्ज किया जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Suresh Kumar Rao
Date: 2026.04.27 11:00:31 IST
Reason: SelfAttested

उभय पक्ष की बहस सुनी गई। प्रार्थी नें उपस्थित होकर अपने कथनो को दोहराते हुए निवेदन किया कि प्रार्थी का रकबा प्रार्थी के नाम से वाके चक 5 एल एम का पत्थर नं.–270/484 का मुरब्बा नं.–25 किला नं.–5/1/0.050, 6/0.100, 7/0.

कार्यालय उप जिला कलक्टर जिला श्रीगंगानगर

सुरेश राव
उपखण्ड अधिकारी
अनूपगढ़

005, 14/0.050, 17/0.050 व 24/0.050 है. रकबा प्रत्येक में से 33 फीट चौड़ा रास्ता अपनी स्वेच्छा से राज्य सरकार के हक में समर्पण करवाया है, जिसका नामान्तकरण सं.–415 दिनांक 16.07.2025 द्वारा रकबा राज दर्ज है जिसे राजस्व रिकॉर्ड में गै.मु. रास्ता दर्ज किया जावे।

पत्रवाली का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपस्थित दस्तावेजात एवं तहसीलदार राजस्व अनूपगढ़ की रिपोर्ट एवं रास्ता प्रस्ताव के अवलोकन उपरान्त न्यायालय की राय में 251 ए के तहत नया मार्ग स्वीकृत किया जा सकता है अथवा विधमान चौड़ा करने की स्वीकृती दी जा सकती है प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र में दर्ज किया है कि प्रार्थी उक्त जगह को रास्ते के रूप में उपयोग उपभोग कर रहा है। यानि रास्ता पूर्व में ही विधमान है विधमान रास्ते के सबधं में धारा 251 ए आरटीएक्ट प्रावधान लागू नही होते है। तथा प्रार्थी प्रार्थना पत्र में धारा 136 एल आर एक्ट में दुरस्ती चाही गई जबकि भूमि जरिए नामान्तरण सं.–415 के सिवायचक रकबा राज दर्ज हुई है। तथा नामान्तरण अनुसार ही जमाबदी में भूमि रकबा राज दर्ज हुई है। जो सही दर्ज है। अतएव प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र धारा 251ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम एवं धारा 136 एल आर एक्ट स्वीकार योग्य नहीं है।

–:: आदेश ::–

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 'क' राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 एवं धारा 136 एल आर एक्ट अस्वीकार किया जाता है।

निर्णय आज **दिनांक** 20/4/26 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

SR

सुरेश राव
उपखण्ड अधिकारी
अनूपगढ़

सुरेश राव
उपखण्ड अधिकारी
अनूपगढ़

कार्यालय उप जिला कलक्टर
जिला श्रीगंगानगर

Signature Not Verified

Digitally signed by Suresh Kumar Rao
Date: 2026.04.27 11:00:31 IST
Reason: SelfAttested